BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर कुकर्म के आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास व 22 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त प्रशान्त उर्फ जलविदा पुत्र पप्पू सिंह निवासी अकरबास थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक नाबालिक लड़के के साथ कुकर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16.07.2022 को थाना डिबाई पर मुअसं- 345/22 धारा- 377 भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.07.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.11.2023 को मा0 न्यायालय पोक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रशान्त को 22 वर्ष का सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री धर्मेन्द्र राघव, श्री भरत शर्मा व श्री वरूण कौशिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर